623
18/10/16

पत्रांक– /आयु0कर,उत्तराखण्ड/धारा–57 अनु0/वाणि0कर/2016–17/दे0दून

कार्यालयः– आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
(धारा–57 अनुभाग)
देहरादूनः दिनांक : 14 अक्टूबर, 2016

प्रार्थना पत्र संख्या	–	17/2015–16
द्वारा	–	सर्वश्री कुमाऊँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री उत्तराखण्ड चैम्बर हाउस इण्डस्ट्रीयल स्टेट, बाजपुर रोड़, काशीपुर, जिला– उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड।
उपस्थिति	–	श्री ज्योतिराज, अधिवक्ता फर्म
निर्णय का दिनांक	–	14.10.2016

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत निर्णय

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा–57 के अन्तर्गत यह प्रार्थना पत्र सर्वश्री कुमाऊँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री उत्तराखण्ड, चैम्बर हाउस इण्डस्ट्रीयल स्टेट, बाजपुर रोड़, काशीपुर, जिला– उधमसिंह नगर, उत्तराखण्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 में विज्ञप्ति संख्या 102 दिनांक 31.03.2015 से धारा–4(7)(e) में किये गये संशोधन के परिप्रेक्ष्य में धारा–4(7)(d) की Applicability स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्यपालक/प्रवर्तन) वाणिज्य कर, बाजपुर सम्भाग, बाजपुर का मत प्राप्त किया गया। ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक/प्रवर्तन) द्वारा प्रेषित आख्या में उल्लेख किया गया है कि यदि किसी व्यापारी द्वारा अनुसूची– III में विनिर्दिष्ट वस्तुओं अथवा अन्य किसी भी अनुसूची में विनिर्दिष्ट वस्तुओं के निर्माण/पैकिंग हेतु मान्यता प्रमाण पत्र धारक द्वारा रियायती दर पर कर का भुगतान करके रॉ मैटीरियल, पैकिंग मैटीरियल या कन्ज्यूमेबिल की खरीद की जाती है तथा ऐसा माल या उससे निर्मित माल का स्टॉक ट्रांसफर किया जाता है तब ऐसी स्थिति में धारा–4(7)(d) के प्राविधान लागू होंगे तथा ऐसे संव्यवहार के परिप्रेक्ष्य में संबंधित वस्तु पर कर अदा किये गये रियायती दर एवं उस वस्तु पर अधिनियम के अन्तर्गत देय सामान्य कर की दर के अन्तर के डेढ़ गुने तक एवं अधिकतम दोगुने तक दण्ड स्वरूप धनराशि आरोपणीय है।

धारा–57 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु प्रेषित नोटिस के अनुपालन में अधिवक्ता फर्म श्री ज्योतिराज ने उपस्थित होकर अपना पक्ष रखते हुए कहा गया है कि विज्ञप्ति संख्या 102 दिनांक 31.03.2015 से धारा–4(7)(e) में किये गये संशोधन से फार्म–11 के विरूद्ध क्रय किये गये कच्चे माल से निर्मित माल जो अधिनियम की अनुसूची–III में वर्गीकृत है का स्टॉक ट्रांसफर किये जाने पर ही उक्त धारा के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपणीय होगा परन्तु अनुसूची–III में वर्गीकृत माल से भिन्न माल के निर्माण हेतु फार्म–11 के विरूद्ध क्रय किये गये इण्डस्ट्रीयल इनपुट से निर्मित माल के स्टॉक ट्रांसफर किये जाने पर धारा–4(7)(d) के अन्तर्गत निहित प्रावधान लागू होंगे अथवा नहीं के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट किये जाने हेतु धारा–57 के अन्तर्गत उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

क्रमशः पेज–2 पर

Scanned by CamScanner

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, सुनवाई के समय दिये गये तर्कों एवं ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / प्रवर्तन) वाणिज्य कर, बाजपुर सम्भाग, बाजपुर द्वारा प्रेषित आख्या पर विचार किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रश्न उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निहित विधिक प्राविधानों की व्याख्या से सम्बन्धित प्रश्न है जबकि धारा–57 के अन्तर्गत किसी विज्ञप्ति अथवा अधिनियम में निहित किसी विधिक प्राविधान की व्याख्या से सम्बन्धित प्रश्नों का अवधारण आयुक्त कर द्वारा नहीं किया जा सकता। पूछा गया प्रश्न धारा–57(1) के अन्तर्गत निहित विषय से सम्बन्धित नहीं है तदनुसार प्रार्थना पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

उपरोक्तानुसार आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जा रहा है।

इस निर्णय की प्रतिलिपि आवेदनकर्ता तथा सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक–पृथक भेजी जाए।

(रणवीर सिंह चौहान)
आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

3893
पृ0प0सं0 / दिनांक : उक्त ।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, वैभव पैलेस, इंदिरानगर, देहरादून।
3– एडिशनल कमिश्नर, वाणिज्यकर, देहरादून / हरिद्वार / कशीपुर / रूद्रपुर जोन।
4– समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0 / प्रव0) वाणिज्य कर, देहरादून / हरिद्वार / रूड़की / रूद्रपुर / हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त की अतिरिक्त प्रतियाँ कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों / बार एसोसिएशान के पदाधिकारियों / व्यापारी संगठनों के अध्यक्ष / सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5– ज्वाइन्ट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर, देहरादून / हरिद्वार / काशीपुर / हल्द्वानी।
6– श्री अनुराग मिश्रा डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर एवं web Information Officer को विभागीय Website पर Update करने हेतु।
7– डिप्टी कमिश्नर(क0नि0)–3, महुआखेड़ा, वाणिज्य कर, काशीपुर।
8– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मार्डन प्लाजा बिल्डिंग अम्बेड़कर रोड, गाजियाबाद।
9– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15 / 5 राजनगर, गाजियाबाद।
10– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलैक्ट्रेट कम्पाउण्ड, राजनगर, गाजियाबाद।
11– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाईल हेतु।
12– विधि अनुभाग की गार्ड फाईल हेतु।

आयुक्त कर, उत्तराखण्ड।

Scanned by CamScanner